



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

Stamp Duty  
202 Stamp-Registration Bill  
AC Code: UPNWD204  
Add: Ddipad - Anandpur Nagar  
Lic No - TS, Mh, 16521858

e-Stamp

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Certificate No.           | : IN-UP65936249712088U                       |
| Certificate Issued Date   | : 11-Aug-2022 12:43 PM                       |
| Account Reference         | : NEWIMPADC (SV) up14192604/ ALAPUR/ UP-AMB  |
| Unique Doc. Reference     | : SUBN-UPUP1419260424113513523007U           |
| Purchased by              | : SINGARI DEVI EDUCATIONAL AND WELFARE TRUST |
| Description of Document   | : Article 4 Affidavit                        |
| Property Description      | : Not Applicable                             |
| Consideration Price (Rs.) | :  |
| First Party               | : SINGARI DEVI EDUCATIONAL AND WELFARE TRUST |
| Second Party              | : Not Applicable                             |
| Stamp Duty Paid By        | : SINGARI DEVI EDUCATIONAL AND WELFARE TRUST |
| Stamp Duty Amount(Rs.)    | : 100<br>(One Hundred only)                  |



सत्यमेव जयते

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थानों की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी कथन-पत्र का पत्रक

इस बनवारी लाज एवं सुनील कुमार क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव सिंगारी देवी एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट, ग्राम इगमनुददीनपुर, पोस्ट सुतहरवात तहसील आलापुर जिला अम्बेडकरनगर सपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं-

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा एक ही कॉलेज ऑफ एजुकेशन एण्ड मेडिकल साइंस, ग्राम नोवर्धनपुर पोस्ट कवठी अंभानपुर तहसील आलापुर जिला अम्बेडकरनगर नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम सिंगारी देवी एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट, ग्राम इगमनुददीनपुर, पोस्ट सुतहरवात तहसील आलापुर जिला अम्बेडकरनगर में गाटा संख्या 412 एवं प्लॉट क्रमशः 1.617.80 भूमि है।

Statutory Note

1. The authenticity of the Stamp Certificate should be verified at 'www.stampserv.gov.in' or using a Stamp Mobile App or both. Please refer accordingly to the details on the Certificate and its website / Mobile App, where it is available.
2. The issue of changing the beneficiary is on the part of the beneficiary.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी जद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त प्लॉ पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम उपरोक्त भूमि के गाटा संख्या 432 एवं एकका संख्या 1.617 हे० पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किंग जेम्स का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 08.01.2020 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रस्तुत डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान संकलन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि निर्देशन समिति के समक्ष उपरोक्त प्लॉ पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्माित भवनों को ही निर्देशन समिति के समक्ष निर्देशन हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल आर्षे इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल आर्षे इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश दायता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में अधिष्ठान प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल आर्षे इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, स० प्र० संकलन से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आईटीआई आदि का संचालन न हो पूर्व में कमी किया गया है, और न हो भविष्य में कमी किया जायेगा।
10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक कक्षा कम, प्रयोगशालाओं एवं कार्वेणलजो आदि को फार्मेसी काउन्सिल आर्षे इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक सैकिक एवं जरीकिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सब प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि, शासन /परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों /आदेशों का पालन/अति पालन करेगा। यदि भेरे संस्था में किसी भी समय स्थलीय निर्देशन में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निर्देशन एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इन हेतु भेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।
13. मैं घोषणा करता /करती हूँ कि भेरे द्वारा दी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्व रूप से प्राप्त/प्राप्त नहीं की गयी जानकारी एवं अविश्लेष/दस्तावेज फर्जी, कूटस्थित अथवा त्रुटिपूर्ण पाए जाते हैं तो भेरे शिक्षा परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी ही नहीं किसी भी कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।

  
 श्री राजेश कुमार  
 निवासी 21/1/1  
 क्षेत्रीय के अध्यक्ष  
 8 कक्षा विद्यालय  
 नवम्बर की रात

80 सचिव

राजेश कुमार

80 अध्यक्ष

